संख्या–वे0आ0–2– 496/दस–54(एम)/2008टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
विशेष सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
कार्मिक विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक : 18 मार्च, 2011

विषयः– वेतन समिति (2008) के पंचम प्रतिवेदन में प्रशिक्षण भत्ता एवं शोध संस्थानों में सुविधाओं के सम्बन्ध में की गयी विस्तृत संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है वेतन समिति द्वारा प्रशिक्षण भत्ता एवं शोध संस्थानों में सुविधाओं के सम्बन्ध में पंचम प्रतिवेदन में दी गयीं निम्न संस्तुतियों को स्वीकार करने का निर्णय लिया गया है :––

समिति द्वारा विभिन्न सेवा संगठनों/विभागों से विचार विमर्श हेतु आयोजित बैठकों में प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में तैनात संकाय अधिकारियों के लिए केन्द्र सरकार के समान व्यवस्था करने की मांग/प्रस्ताव रखे गये। समिति जैसा पूर्व में अन्य भत्तों के सम्बन्ध में संस्तुतियाँ देते समय इंगित कर चुकी है कि प्रदेश की आर्थोपाय स्थिति तथा प्रदेश सरकार द्वारा भत्तों/सुविधाओं की देयता के सम्बन्ध में अंगीकृत सिद्धान्त को देखते हुए महंगाई भत्ते को छोड़कर अन्य भत्ते/सुविधायें केन्द्र के समान अनुमन्य कराये जाने का औचित्य नहीं है। समिति प्रशिक्षण एवं शोध संस्थानों में कार्यरत संकाय अधिकारियों के कार्य की प्रकृति एवं उनकी उपयोगिता/ गुणवत्ता को देखते हुए यह उचित समझती है कि प्रशिक्षण भत्ते की वर्तमान व्यवस्था को बनाये रखा जाय। इस बात को देखते हुए कि दिनांक 01 जनवरी, 2006 से वेतनमान पुनरीक्षण के फलस्वरूप कर्मचारियों का मूलवेतन लगभग 2.5 गुना हो गया है, समिति प्रशिक्षण भत्ते की वर्तमान में निर्धारित मूल वेतन के 15 प्रतिशत की दर में परिवर्तन का कोई औचित्य नही पाती है। समिति की संस्तुति है कि अन्य शर्तो एवं प्रतिबन्धों सहित प्रशिक्षण भत्ते की वर्तमान दर को यथावत रखा जाय। जहां तक सम्चुअरी भत्ते का सम्बन्ध है इस बात को देखते हुए की रू0 500/– की धनराशि वर्ष 1999 में निर्धारित की गयी थी, समिति सम्चुअरी भत्तों की दरों में परिवर्तन का औचित्य पाती है। समिति की संस्तुति है कि राज्य स्तरीय

प्रशिक्षण संस्थान के निदेशक को सम्चुअरी भत्ता रू0 1500/–प्रतिमाह की दर से स्वीकृत किया जाय।

2– कृपया उपर्युक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अजय अग्रवाल)
विशेष सचिव।

संख्या–वे0आ0–2–406 (1)/दस–54(एम)/2008टी0सी0, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

(1) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1
(2) कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
(3) निदेशक, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन, लखनऊ को शासनादेश वित्त विभाग की वेब साइट पर डाले जाने हेतु।

आज्ञा से,

(नरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।